

नई दिल्ली, दिनांक 22.05.2011

सेवा में,

श्री सुभाषा कुंद्रा,
राजभाषा अधिकारी, (ई.डी. वित्त/विधि)
एअर इंडिया लिमिटेड,
(पंजीकृत कार्यालय)
113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड,
नई दिल्ली- 110 037

विषय: सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी निरीक्षण और संपर्क ।


महोदय,

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अधोहस्ताक्षरी तथा उनके सहयोगी श्री ब्रिजेश कुमार, अनुवादक द्वारा आपके कार्यालय का दिनांक 18.05.2011 को राजभाषायी निरीक्षण किया गया तथा इस अवसर पर आपकी अनुपस्थिति में श्री एस.के.जैन (महाप्रबंधक, अभियांत्रिकी), श्री नरेन्द्र कुमार (मुख्य प्रबंधक, कार्मिक), सुश्री ऋतु जैन (प्रभारी, कार्मिक अनुभाग), सुश्री अल्का खरबंदा (प्रभारी, स्थापना अनुभाग), श्री जी.पी. अस्थाना (प्रभारी, कैंटीन) तथा राजभाषा एकक के अधिकारीगण यथा श्रीमती मेखला-दत्ता (उपमहाप्रबंधक), श्री महेन्द्र कुमार (मुख्य प्रबंधक), श्री आर.पी. जोशी (वरिष्ठ प्रबंधक) से राजभाषा के संबंध में चर्चा की और यादृच्छिक तौर पर कुछ अनुभागों जैसे कि कार्मिक अनुभाग, स्थापना अनुभाग, अभियांत्रिकी अनुभाग तथा कैंटीन में जाकर राजभाषा स्थिति का प्रत्यक्ष जायजा लिया । निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित बिन्दु उभर कर आए:-

1. कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान है तथापि हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए चार कर्मचारी शेष हैं । इन चारों कर्मचारियों को हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिला दिया गया है किन्तु वे परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं । ऐसी स्थिति में सुझाव है कि इन कर्मचारियों से हिन्दी आशुलिपि का काम लिया जाए और इन्हें परीक्षा देने के लिए पुनः नामित किया जाए ।
2. पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग 65 प्रतिशत के करीब हो रहा है । कुल 21,884 पत्र जारी किए गए हैं जिनमें से 15,949 पत्र हिन्दी में थे । यदि चैक प्वाइंट्स को सुदृढ़ किया जाए और मानक मसौदों को अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए तो यह स्थिति और बेहतर हो सकती है ।
3. इस वर्ष (2010-2011) के दौरान हिन्दी पुस्तकों पर कुछ भी व्यय नहीं किया गया है । यदि भविष्य में पुस्तकों की खरीद की जाती है तो ध्यान रहे कि कम से कम 50 प्रतिशत व्यय हिन्दी पुस्तकों पर किया जाना अपेक्षित है ।
4. देखने में आया कि सभी विज्ञापन द्विभाषी जारी किए गए हैं किन्तु कुल विज्ञापन व्यय की तुलना में हिन्दी विज्ञापनों पर किया गया व्यय निर्धारित लक्ष्य से कम है । संसदीय राजभाषा समिति भी समय-समय पर, इस बारे में अपनी टिप्पणी करती रही है ।

5. कार्यालय में उपलब्ध रजिस्ट्रों में हिन्दी का प्रयोग हो रहा है तथापि अभी भी कुछ फाइलें और रजिस्ट्रों पर विषय द्विभाषी नहीं हैं । कृपया, सभी विषय और शीर्षक द्विभाषी करवाना सुनिश्चित किया जाए ।
6. धारा 3(3) का समुचित पालन हो रहा है और कार्यालय से जारी होने वाले इस प्रकार के सभी दस्तावेजों की एक-एक प्रति एक रजिस्टर में संग्रहीत की जाती है ।
7. वेतन पर्चियां हिन्दी में बन रही हैं । यह एक सराहनीय कदम है । भविष्य में भी यह कार्य लगातार होता रहना चाहिए ।
8. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा स्वयं काफी पत्र हिन्दी में लिखे जा रहे हैं जिनकी प्रतियां भी एक रजिस्टर में देखने को मिली हैं । ऐसे कार्य, अधीनस्थों पर एक अच्छी छाप छोड़ते हैं ।
9. कैंटीन में तो शत-प्रतिशत काम हिन्दी में हो रहा है किन्तु कार्मिक और स्थापना अनुभाग में अभी हिन्दी में कार्य बढ़ाने की गुंजाइश है ।
10. श्री एस.के.जैन महाप्रबंधक ने बताया कि हमारे यहां प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित होने वाले सभी पाठ्यक्रमों में मिली-जुली भाषा का प्रयोग होता है । वर्ष में लगभग 200 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं और अधिकांश व्याख्यान मिली-जुली भाषा में या हिन्दी में ही होते हैं । यह कार्य काफी सराहनीय है ।

कृपया, उपर्युक्त के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट दो महीने के भीतर मंत्रालय को भिजवाना सुनिश्चित किया जाए ।

भवदीय,

(टेक चन्द मंगला) 28/5/11
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

✓ प्रतिलिपि: फा.सं. ई 11013/10/2011-रा.भा.